संख्या-1/2024/503/43-2-2024

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 अक्टूबर, 2024

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर प्राप्त होने वाले आवेदनों/प्रथम अपीलों को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त किये जाने हेतु एक वेब पोर्टल rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। वर्तमान में सचिवालय के समस्त विभाग व उनके नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष कार्यालय, समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी कार्यालय व गृह विभाग के समस्त जोन/मण्डल/जनपद स्तरीय कार्यालय तथा अन्य कार्यालय अर्थात् कुल 533 कार्यालय वेब पोर्टल पर ऑनलाइन हो गए हैं। इस व्यवस्था से नागरिकों को उक्त कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन/प्रथम अपील किए जाने की सुविधा प्राप्त हो गई है।

2- पूर्व में वेब पोर्टल में यह व्यवस्था थी कि नागरिकों द्वारा किए गए समस्त ऑनलाइन आवेदन/प्रथम अपील लोक प्राधिकरणों में नामित नोडल अधिकारी को प्राप्त होगी। नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्राप्त आवेदन/प्रथम अपील ऑनलाइन अन्तरित किया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार वेब पोर्टल पर उपलब्ध प्रक्रियानुसार जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की आई०डी० एवं पासवर्ड सृजित किए जाने की व्यवस्था थी। विभागों के मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों की संख्या अत्यधिक होने के कारण प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि आर०टी०आई० आनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध विभागाध्यक्ष कार्यालयों में नामित नोडल द्वारा अपने नियंत्रणाधीन मण्डलीय व जनपदीय कार्यालयों में नामित जन सूचना अधिकारियों/ प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा आई०डी० व पासवर्ड सृजित किए जाए तथा नागरिकों से प्राप्त आनलाइन आवेदन/प्रथम अपील को सम्बन्धित मण्डलों/जनपदों के जन सूचना अधिकारियों/ प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को आनलाइन प्रेषित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- सूचना का अधिकार अधिनियम ऑनलाइन के 05 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात उच्च स्तर पर समीक्षा में यह पाया गया कि वर्तमान में पोर्टल पर आनलाइन विभागों के नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों में नागरिकों द्वारा सीधे जन सूचना अधिकारियों/ प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को आवेदन/प्रथम अपील किए जाने की सुविधा नहीं है जिससे अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों के निस्तारण में विलम्ब होता है। नागरिकों द्वारा इस सम्बन्ध में पोर्टल पर शिकायतें भी दर्ज कराई जा रही है। उच्च स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त आर०टी०आई० आनलाइन पोर्टल पर वर्तमान में यह व्यवस्था कर दी गई है कि नागरिकों द्वारा किसी भी लोक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी/ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को सीधे आवेदन/प्रथम अपील की जा सकती है।

अत: इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों में नामित जन सूचना अधिकारियों/ प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण (यथा- नाम, पदनाम, मो०नं०, ईमेल आई०डी०) अद्यतन करते हुए वेब पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें ताकि नागरिकों द्वारा आर०टी०आई० आनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोक प्राधिकरणों में नामित जन सूचना अधिकारियों/ प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष सीधे आवेदन/प्रथम अपील की जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

ह०

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।